न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 79 / 2022

1 रामचन्द्र सिंह पुत्र हीरा।
2 रामलाल पुत्र हीरा समस्त जाति जाट निवासीगण दादिया तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 आरती कंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह।
2 किरण कंवर पत्नी रामसिंह।
3 गजेन्द्र सिंह पुत्र तुगनसिंह।
4 महिपाल सिंह पुत्र रामसिंह।
5 सायर कंवर पत्नी तुगनसिंह।
6 सायर कंवर उर्फ अजन कंवर पत्नी रूघसिंह।
7 इन्द्र कंवर पत्नी अमरसिंह।
8 नरपतसिंह पुत्र अमरसिंह।
9 लक्ष्मणसिंह पुत्र अमरसिंह।
10 सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमरसिंह।
11 रिछपाल सिंह पुत्र तख्तसिंह।
12 मोहनसिंह दत्तक पुत्र दयाल सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण तारपुरा तहसील व जिला सीकर।
13 हेमन्त कुमार पुत्र नन्दलाल जाति महाजन निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
14 तहसीलदार तहसील सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर
बमुकदमा आरती कंवर आदि बनाम मोहनसिंह आदि
मुकदमा नम्बर 60/2019 निर्णय दिनांक 06.07.2022
पीठासीन अधिकारी सुश्री गरिमा लाटा आर.ए.एस

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 18/8/22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 60/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक आरती कंवर ने धारा 251ए मे आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 180 में से 30 फीट चौड़े रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है। दौराने सुनवाई दिनांक 18.08.2022 को अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। यह राजीनामा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2022 को तस्दीक किया जा चुका है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 180 की दक्षिणी सीमा के सहारे 11 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11 ने तर्क दिया कि मुताबिक राजीनामा आदेश पारित करने में उन्हे कोई आपत्ति नही है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 13 ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय खसरा नम्बर 180 मे 30 फिट चौड़ा रास्ता उभयपक्ष को सुनकर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर पारित किया है। अपीलांट ने इस निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। अब अपीलांट विचाराधीन निर्णय एवं अपील के अनुतोष के विपरित अनुतोष चाह रहा है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय खसरा नम्बर 180 मे 30 फिट चौड़ा रास्ता उभयपक्ष को सुनकर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर पारित किया है। अपीलांट ने इस निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। अब अपीलांट विचाराधीन निर्णय एवं अपील के अनुतोष के विपरित अनुतोष चाह रहा है। समस्त पक्षकारों के मध्य राजीनामा नही हुआ है ऐसी स्थिति में राजीनामे के अनुसार आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 1/8/12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी